न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 16 / प्रा.पत्र / 2022 (GCMS No. 2022 / 31)	22.03.2022	10.09.2024

गोपीलाल आ. भवाना जाति बलाई,
निवासी ग्राम नीम का खेडा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

1. नन्दा आ. मोडूलाल जाति बलाई,
   निवासी नीम का खेडा, तहसील एवं जिला बून्दी
2. आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा
   उपखण्ड अधिकारी बून्दी (जिला बून्दी)
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, बून्दी

— अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से श्री नवेद केसर, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री मोहम्मद शरीफ, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को पत्रावली संख्या 652 पर किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 965 मिन रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा वाकेग्राम नीम का खेडा आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 16/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2022/31 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.1 द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 02.08.2022 को जवाब पेश किया जाकर उक्त कार्यवाही अप्रार्थी सं.1 को नाजायज रूप से तंग एवं परेशान करने के लिए पेश किये जाने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 965 मिन रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 1545/965 रकबा 0.2995 हैक्टेयर वाकेग्राम नीम का खेड़ा, तहसील व जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका अंकन खसरा परिवर्तनशील में प्रार्थी का नाम दर्ज है। इसके बावजूद भी आवंटन परामर्शदात्री द्वारा उक्त आराजी का अप्रार्थी सं.1 नन्दा आ. मोडूलाल के पक्ष में आवंटन किया गया। जबकि उक्त भूमि पर आवंटी का आवंटन से पूर्व भी न तो कब्जा काश्त रहा है और न ही आवंटन के पश्चात कब्जा काश्त रहा है। इसके बावजूद भी उक्त आवंटी नन्दा द्वारा उक्त भूमि को अपने नाम गैर खातेदारी में दर्ज करवाया लिया गया। आवंटन से पूर्व भू आवंटन की धारा 4 व 5 में अनऑक्यूपाईड लेण्ड की सूची जारी नहीं की गई और न ही आवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी की गई, ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन खारिज होने योग्य है। आवंटन के बाद अलोटी द्वारा लेण्ड रेवेन्यू अलोटमेंट ऑफ लेण्ड फार एग्रीकल्चर परपज रूल्स, 1970 एवं शर्तो की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी सं. 1 के पास आवंटन दिनांक के दिन लगभग 20 बीघा भूमि उसकी खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात भी उक्त आवंटन किया गया है जो कि आवंटन नियमों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। आवंटित भूमि न तो आवंटी के खाते की भूमि के समीपस्थ भूमि है और न ही आवंटी उक्त भूमि का समीपस्थ काश्तकार है। जबकि उक्त भूमि प्रार्थी के समीपस्थ होने से उक्त भूमि पर प्रार्थी का विगत 50–60 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए भी उक्त आवंटन आदेश खारिज होने योग्य है। प्रार्थी को तत्समय उक्त आवंटन की कोई जानकारी नहीं थी, उक्त तथ्य की प्रार्थी को दिनांक 08.03.2022 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी को कहने पर उक्त भूमि आवंटन की जानकारी हुई। तब प्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया गया तथा नकल प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र अंदर मियाद पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 12.11.1975 को अप्रार्थी सं.1 नन्दा आ. मोडू को मिसल सं.652 पर सम्पूर्ण जांच उपरान्त आवंटन का पात्र मानते हुऐ प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात आवंटी को 2 गवाहान की उपस्थिति में कब्जा दिया गया, तब से ही आवंटित भूमि को अप्रार्थी सं.1 ने खाल दरडों से हाक जोतकर कृषि योग्य बनाया गया, जिस पर काबिज रहकर निरन्तर काश्त की जा रही है। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है, इसलिए वह पीड़ित पक्षकार नहीं होने से उसे यह कार्यवाही प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, ऐसे में प्राईवेट पक्षकार द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र विधिविरूद्ध होने से चलने योग्य नहीं है। आवंटन नियम 14(4) के तहत आवंटन को केवल तथ्यों को छिपाकर या धोखे से आवंटन करवाये जाने पर ही निरस्त किये जाने का प्रावधान है किन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। अप्रार्थी सं.1 के पास वक्त आवंटन 20 बीघा भूमि खातेदारी की होने का प्रार्थी का कथन मिथ्या एवं मनगढंत है, जबकि अप्रार्थी सं.1 भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता है। प्रार्थी ने अपना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी निराधार है। कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन अधिनियम,1970 के तहत आवंटन के 3 वर्ष बाद गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है, जिसके अनुसार गैर खातेदार अप्रार्थी सं.1 स्वतः खातेदार बन चुका है। अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा यह भी आपत्ति प्रकट की गई कि आवंटन को 46 वर्ष हो चुके है। उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही है। उक्त 46 वर्षो की अवधि के दौरान प्रार्थी ने कभी भी उक्त आवंटन के संबंध में किसी भी कार्यालय में कोई शिकायत नहीं की है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अवधि बाधित होने से निरस्तनीय है। अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि नन्दा आ. मोडू जाति बलाई निवासी नीम का खेडा को मिसल नं. 652 दिनांक 12.11.1975 को भूमि खसरा सं. 936 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा सं. 975 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 07 बिस्वा वाकेग्राम नीम का खेडा का आवंटन किया गया है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध कब्जा देने की रिपोर्ट दिनांक 12.11.1975 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि 7 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर आवंटी नन्दा पुत्र मोडू को मौके पर कब्जा संभलाया जाना अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2072 – 2075 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी अप्रार्थी सं.1 गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से 3 बिन्दु उठाये हैं, 1. प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा है, 2. आवंटन के संबंध मे उद्घोषणा जारी नही की गई, 3. आवंटी भूमिहीन कृषक की परिभाषा में नहीं आता है। यहां प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर पुराना कब्जा होना अंकित किया है, किन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या सबूत पेश नही किया, जिससे यह प्रकट होता हो कि आवंटित भूमि पर उसका आवंटन से पूर्व का निर्बाधरूप से कब्जा है। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर वक्त आवंटन कब्जा भी रहा हो तो उसे नियमन हेतु तत्समय आवंटन समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिऐ था, क्योंकि नियमन के अधिकार भी उक्त आवंटन समिति मे निहित होते हैं। जहां तक उद्घोषणा जारी नहीं किये जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज अथवा शपथ पत्र पेश नहीं किया गया, जिससे यह माना जा सके कि आवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा आवंटी के खाते में 20 बीघा भूमि होने के संबंध में भी आपत्ति की गई है। जबकि आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अनुसार आवंटी के पिता के खाते की 12 बीघा भूमि में से आवंटी का काल्पनिक हिस्सा 4 बीघा 02 बिस्वा बनने से वह कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम,1970 के नियम–12 के तहत निर्धारित आवंटन सीमा के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य कथन मात्र है, जिनकी पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन पाया गया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आवंटन दिनांक 12.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र 46 वर्ष के असाधारण विलम्ब से पेश किया है, जो उचित नही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं पाये गये। ऐसे में उक्त आवंटन बहाल रखा जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। साथ ही तहसीलदार बून्दी को आदेश प्रदान किये जाते है कि गैर खातेदार नन्दा पुत्र मोडू द्वारा आवंटित भूमि बाबत आवंटन की शर्तो की पालना की जा रही है या नहीं ? इस संबंध में वादग्रस्त कृषि भूमि की मौका जांच की जावें। यदि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही हो, तो नियमानुसार प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावें। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के प्रार्थी या अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उनके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी